संख्या– /II–2004–03–(01)/2003

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
उप सचिव,
उत्तरॉचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग उत्तरांचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग, देहरादून, दिनांक, 22 अप्रैल, /2004

विषयः– वित्तीय वर्ष–2004–05 के लिए आयोजनागत मदों में लेखानुदान अवधि में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन के पत्र सं0–240/वि0अनु0–1/2004 दिनांक 27.03.204 एवं आपके पत्र सं0 1081/मु0अ0वि0/बजट/बी–1/सामान्य दिनांक 05.04.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोजनागत मद में कार्यो के लिए संलग्न विवरणानुसार रू0 805.87 लाख (रूपय आठ करोड़ पॉच लाख सतासी हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के विरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्ही योजनाओं के अन्तर्गत किया जायें जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है, तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जिला योजना से सम्बन्धित कार्यो पर व्यय जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय एवं इसके अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के अनुसार ही किया जाय।

2– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

3– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कृटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4– स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन/फांट मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिं0 वि0 उत्तरांचल द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा। जिला योजना की फॉट जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय के आधार पर की जाय।

5– जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाये तथा कार्यो के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकि का प्रयोग किया जाय।

क्रमश.....2

6– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तरांचल राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

7– कार्य की समय बद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि उपभोग जुलाई 2004 तक कर दिया जायेगा और इसमें कृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

9– व्यय करते समय भारत सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जायेगा और भारत सरकार से उक्त के विपरीत आवश्यक धनराशि की प्रतिपूर्ति प्राविधानित करा ली जायेगी तथा आगामी किस्त भारत सरकार से प्रतिपूर्ति की स्थिति स्पष्ट करने पर ही अवमुक्त की जायेगी।

10– विभागीय कार्य करने से पूर्व लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकि अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित उप लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–86/वि0 अनु0–3/2004 दिनांक, 19, अप्रैल 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

संलग्नः–यथोक्त।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।

संख्या–1498 /II–2004–03–(01)/2003 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
3– श्री एम0एल0पन्त, अपर सचिव, वित्त,बजट अनुभाग उत्तरांचल शासन।
4– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री।
6– निजी सचिव, मा0 मंत्री सिंचाई बाढ़ नियन्त्रण एवं लघु सिंचाई को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
8– समस्त कोषाधिकारी /जिलाधिकारी उत्तरांचल ।
9– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– गार्ड फाईल हेतु।

संलग्नकः–यथोक्त।

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।

2204.04

शासनादेशसंख्या–1498 / II–2004–03–(01) / 2003का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	लेखा शीर्षक	लेखानुदान में प्राविधान	प्रस्तावित आवंटन
1	4701–मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूजीगत परिव्यय		
	01–मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक		
	121–जमरानी बॉध		
	03–निर्माण कार्य–00		
	24–बृहद निर्माण कार्य	3.33	3.33
2	140–नलकूपों का निर्माण		
	91–नलकूपों का निर्माण (जिला योजना)–00		
	24–बृहद निर्माण	100.00	100.00
3	141–सिंचाई विभाग की नई योजनायें		
	95–ए0आई0बी0पी0 की सिंचाई योजनायें (75% के0 सहा0)–00		
	24–बृहद निर्माण कार्य	50.00	14.87
4	142–निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें(जि0यो0)		
	91–निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें (जि0यो0)–00		
	24–बृहद निर्माण कार्य	384.33	384.33
5	143–उत्तरांचल की लघु डाल नहरों का पुनरोद्धार (जि0 यो0)		
	03–निर्माण कार्य–00		
	24–बृहद निर्माण कार्य	36.67	36.67
6	03–मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक		
	052–मशीनरी तथा उपस्कर		
	03–नवीन सम्पूर्ति –00		
	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.67	1.67
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और सयन्त्र	1.67	1.67
7	80–सामान्य		
	003–परीक्षण कार्यक्रम		
	03–निर्माण कार्य–00		
	42–अन्य व्यय	8.33	8.33
8	004–शोध कार्यक्रम का विस्तार		
	03–निर्माण कार्य–00		
	42–अन्य व्यय	15.00	15.00

क्र0 सं0	लेखा शीर्षक	लेखानुदान में प्राविधान	प्रस्तावित आवंटन
9	005–सर्वेक्षण तथा अनुसंधान (किशाऊ बॉध सहित)		
	03–निर्माण कार्य–00		
	42–अन्य व्यय	40.00	40.00
10	4711–बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
	01–बाढ़ नियन्त्रण		
	103–सिविल निर्माण कार्य		
	03–अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव–00		
	24–बृहद निर्माण कार्य	200.00	200.00
	योग–	841.00	805.87

(रूपय आठ करोड़ पॉच लाख सतासी हजार मात्र)

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।